

**Before The Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench, New Delhi**

**Original Application No. 359/2022**

**IN THE MATTER OF:**

RAFHAT NAEEM SIDDIQUI

....APPLICANT

Versus

STATE OF U.P. & ORS.

....RESPONDENT

**INDEX**

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Report on behalf of the Respondent No.-4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 30.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	The Copy of the letter dated 26.02.2024 is being annexed herewith as <b>Annexure No.-R4/1.</b>	
3.	The Copy of the report dated 09.04.2024 is being annexed herewith as <b>Annexure No.-R4/2.</b>	
4.	Copy of report dated 04-04-2024 of joint committee is being annexed herewith as <b>Annexure No.-R4/3.</b>	

5.	Copy of letter dated 27.08.2024 is being annexed herewith as <b>Annexure No.-R4/4.</b>	
6.	Copy of letter dated 06-09-2024 is annexed herewith as <b>Annexure No.-R4/5.</b>	
7.	Copy of reminder letter dated 22.10.2024 is annexed herewith as <b>Annexure No.-R4/6.</b>	
8.	Copy of letter dated 28.10.2024 of mining officer, Bijnore is annexed herewith as <b>Annexure No.-R4/7.</b>	

**Uttar Pradesh Pollution Control Board  
THROUGH**




**(Pradeep Misra)  
Advocate**

**138, New Lawyers' Chamber,  
Supreme court of India  
New Delhi – 110001  
011-23070011.  
pradeepmisra@yahoo.com**

**Date:06 .11.2024**

**Before The Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench, New Delhi**

**Original Application No. 359/2022**



**IN THE MATTER OF:**

RAFHAT NAEEM SIDDIQUI

....APPLICANT

Versus

STATE OF U.P. & ORS.

....RESPONDENTS

**REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-4,  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN  
COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 30-07-2024  
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN  
TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I, VIJAY S/O SHRI PHIRANTI RAM, aged about 47 years, posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB"), BIJNOR Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the present report is being filed before this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter "Hon'ble Tribunal") in compliance to the earlier directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 30.07.2024. The relevant portion of the order dated 30.07.2024 is reproduced as under:

“.....2. *Learned Counsel for the UPPCB seeks further two week's time to file the report in terms of the order dated 12.02.2024. He has assured that such a practice of sending the communication without the report will not be repeated by the Officers of the UPPCB. ....*”

2. That in compliance to the order dated 12.02.2024, UPPCB on 26.02.2024 has sent a letter to the District Mining Officer, Bijnore to provide the details regarding the illegal mining done by M/s Milansar Brick Works, Village Abul Khairpur, Tehsil Nagina, District Bijnore. The Copy of the letter dated 26.02.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-R4/1**.
3. That in pursuance to the aforesaid letter dated 26.02.2024 of UPPCB, the District Mining Officer, Bijnore vide its letter dated 09.04.2024 has sent a report to the UPPCB. The Copy of the report dated 09.04.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-R4/2**.
4. That vide its report dated 09.04.2024 the District Mining Officer, Bijnore has informed that joint committee comprising the SDM Nagina, Tehsildar Nagina and Mining Officer, Bijnore has conducted a joint inspection of Gata No. 35 at village Saidalipur and Gata No. 55 at village Abul Khairpur on 04.04.2024. In the report dated 04.04.2024 of the joint committee it is mentioned that there is no mining has been carried at Gata No. 35 at village Saidalipur and Gata



No. 55 at village Abulkhairpur. A copy of report dated 04.04.2024 of joint committee is being annexed herewith as **Annexure No.-R4/3**.

5. That a joint committee constituted by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 23.05.2022 has filed its report vide email dated 25.08.2022 which is considered by this Hon'ble Tribunal on 12.02.2024. The relevant part of the order dated 12.02.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is reproduced below :

*".....2. The Tribunal considering the grievance raised in the OA had constituted the Joint Committee by order dated 23.05.2022 and the Joint Committee had filed report vide e-mail dated 25.08.2022 clearly mentioning as under about the extent of excavation by the Project Proponent:*

*"xxx.....xxx.....  
 .xxx It has been found during joint inspection that soil has been excavated from the side of the land of Mohd. Rafhat Naeem up to 18 meters in length in Gata no.-12, village Abbul Khairpur and 05 meters in length in Gata No.-15 Village-Abbul Khairpur, whose depth is 4.5 feet in both Gata numbers. No excavation was found during inspection in gata no.-35mi village Said Alipur, Tehsil-Nagina, District – Bijnor....."*



6. That UPPCB on 27.08.2024 has sent a letter to the District Mining Officer, Bijnore to provide details of persons to whom license issued at Gata No. 12 and 15 Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, Dist-Bijnore including the area (in cubic meter) in which the mining has been done and for what purpose the mining has been done. A copy of letter dated 27.08.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-R4/4.**


7. That Additional District Magistrate, (F/R)/Incharge (Mining), Bijnore vide letter dated 06.09.2024 has issued directions to SDM, Nagina, Tehsildar, Nagina, Mining Officer, Bijnore to provide information as required by UPPCB mentioned in letter dated 27.08.2024 sent by the UPPCB and also issued direction to visit Gata No. 12 and 15 at Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, District-Bijnore and send report immediately to Regional Office, UPPCB, Bijnore. A copy of the letter dated 06.09.2024 is annexed herewith as **Annexure No.-R4/5.**

8. That UPPCB on 22.10.2024 has sent a reminder letter to the District Mining Officer, Bijnore to provide details of persons to whom license issued at Gata No. 12 and 15 Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, District- Bijnore including the area (in cubic meter) in which the mining has been done and for what purpose the mining has been



done. A copy of reminder letter dated 22.10.2024 is annexed herewith as **Annexure No.-R4/6**.


9. That Mining Officer, Bijnore vide letter dated 28.10.2024 has replied to the above mentioned letters dated 27.08.2024 and 22.10.2024 of UPPCB. Mining Officer, Bijnore in its reply dated 28.10.2024 has mentioned that the inspection of the above Gata No. 12 and 15 at Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, Dist- Bijnore has been carried on 25.10.2024. In the report dated 25.10.2024 it is mentioned that at Gata No. 12 Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, Dist- Bijnore, mining of 5164.96 cubic meter of soil has been done by M/s Shiv Ent Udyog for which the unit has submitted the royalty before the mining department. Further, the Mining Officer, Bijnore in its reply dated 28.10.2024 has mentioned that as per revenue records Gata No. 15 Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, Dist- Bijnore, is registered in the name of Mrs. Himchal Devi wife of Arvind Kumar village Shadipur. That at Gata No. 15 Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, Dist- Bijnore, illegal mining of 513.75 cubic meter of soil has been done by Mrs. Himchal Devi without prior permission of concerning department for the purpose of construction of house and Kaccha Road. Mining Department, Bijnore vide letter dated 28.10.2024 has issued notice against Mrs. Himchal Devi for illegal mining at Gata



No. 15 Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, District- Bijnore. A copy of letter dated 28.10.2024 of Mining Officer, Bijnore is annexed herewith as **Annexure No.-R4/7.**

10. That as per the records of UPPCB and records provided by the Mining Department, Bijnore both the Brick Kilns namely M/s Milansar Brick Works, Village Abul Khairpur, Tehsil Nagina, District Bijnore and M/s Shiv Ent Udyog, Village Shadipur, Hargarnpur, Tehsil Nagina, District-Bijnore in question are having valid Consent to Operate from UPPCB for operation of the brick kilns and permission from mining department form mining of soil. The illegal mining has been done at Gata No. 15 Village Abul Khairpur, Tahsil Nagina, District- Bijnore, by Mrs. Himchal Devi without prior permission of concerning department for which the mining department has issued notice and further action is to be taken by mining department itself.

11. That the above report of the Respondent No.-4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.



Signature  
DEPONENT  
ATTESTED  
5/11/2024  
Gajendra Pal Singh  
NOTARY  
Bijnor - 246701 (U.P.)

**VERIFICATION:**

Verified at Bijnor on this 5 day of November, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

  
**DEPONENT**



Sworn before me on this 5 day of the Nov, 2024,  
by Sh. Vijay Pradeep Mishra  
who has been identified by Me  
who is personally known to me Yes  
whose signature (S) is/are here it appended.

  
Gajendra Pal Singh  
NOTARY,  
BIJNOR-246701 (U.P.)



दूरभाष व फ़ैक्स: (01342) 260434  
ई-मेल: [robijnaur@uppcb.in](mailto:robijnaur@uppcb.in)

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमैरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

सन्दर्भ सं० : 1361/N-43/जनरल-2024

दिनांक : 26-2-2024

सेवा में,  
जिला खान अधिकारी,  
बिजनौर।

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-12.02.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-12.02.2024 (छायाप्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.02.2024 की छायाप्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त ओ०ए० में प्रश्नगत ईट भट्ठा मैसर्स मिलनसार ब्रिक वर्क्स, ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर द्वारा किये गये मिट्टी के खनन कार्य के संबंध में रिपोर्ट चाही गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पारित आदेश का अवलोकन कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी

9/2

10-4-2024

ANNEXURE-RW  
181

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक 046 / खनिज अनुभाग-2024

विषय:

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के सम्बन्ध में।

दिनांक: 09 अप्रैल, 2024

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
बिजनौर।

पत्रांक: 02  
दिनांक: 10-4-2024  
पत्रावली सं०: N-43/प्रसरल-

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 1361/एन-43/जनरल-2024 दिनांक 26.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके साथ मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त ओ0ए0 में प्रश्नगत ईट भट्टा मैसर्स मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर द्वारा किये गये मिटटी के खनन कार्य के संबन्ध में रिपोर्ट चाही गयी है, का अवलोकन कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई-मेल पत्रांक NGT/Judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022, जो कार्यालय में 28.02.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक को नोटिस निर्गत करते हुए अनुपालन आख्या से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देश के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक/भट्टा स्वामी मै0 मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना प्रो0 मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर को अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बोधित कार्यालय पत्रांक 926/खनिज अनुभाग-24 दिनांक 12.03.2024 प्रेषित किया गया (छायाप्रति संलग्नक)। जिसके क्रम में परियोजना प्रस्तावक मौ0 अकरम द्वारा अपने पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2024 व 13.03.2024 प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि प्रार्थी द्वारा गाटा सं0 55 से कभी मिटटी की निकासी नहीं की गयी है। उक्त गाटा सं0 55 के कार्तकारो द्वारा मिटटी निकासी न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, छायाप्रति संलग्न है। इस प्रकार रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी शिकायत निराधार एवं असत्य है। प्रार्थना पत्र के अन्त में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुनः उपजिलाधिकारी नगीना, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व खनन विभाग की संयुक्त टीम से मौके की जांच कराकर प्रार्थी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही को निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन व उपरोक्त प्रार्थना पत्र में किये गये अनुरोध के क्रम में उपरोक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन की सत्यता की संयुक्त जांच कर जांच आख्या से तत्काल क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को उपलब्ध कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी नगीना, तहसीलदार नगीना व खान अधिकारी बिजनौर को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित कार्यालय पत्रांक 1007/खनिज अनुभाग-24 दिनांक 04.04.2024 प्रेषित किया गया, जिसमें आपको सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर जांच आख्या व अनुपालन आख्या समयान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

MSA

उक्त निर्देश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी नगीना, तहसीलदार नगीना व खान अधिकारी बिजनौर द्वारा अपनी संयुक्त जांच आख्या दिनांक 04.04.2024 कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता रफत नईम सिद्दकी आदि कार्तकारो के गाटा संख्या 35 रकबा 9.270 हे0 स्थित ग्राम सैदअलीपुर से ग्राम अबुलखैरपुर का गाटा सं0 55 रकबा 0.562 हे0 मिला हुआ नहीं है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को रफत नईम सिद्दकी द्वारा गाटा सं0 55 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के जो सहखातेदार शिकायत में उल्लिखित किये गये हैं, वह असत्य एवं निराधार है। ग्राम अबुलखैरपुर के गाटा सं0 55 पर राजस्व रिकार्ड अनुसार ओमपाल सिंह, राजपाल सिंह, रामचरण सिंह व मदन सिंह पुत्रगण शंकर सिंह निवासीगण शादीपुर के नाम दर्ज अभिलेख हैं। उक्त गाटा सं0 55 ग्राम अबुलखैरपुर, ग्राम सैदअलीपुर के गाटा सं0 35 से लगभग 01 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें कोई भी खनन कभी भी नहीं किया गया है। स्थलीय जांच में गाटा संख्या 35 स्थित ग्राम सैदअलीपुर पर भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई खनन नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता श्री रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गयी शिकायत निराधार व असत्य पायी गयी। ईट भट्टा स्वामी मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर के द्वारा ग्राम अजुपुरा रानी के गाटा संख्या 231 व ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 13 क्षे0 0.680 हे0, 14 क्षे0 1.607 हे0, 16 क्षे0 0.338 हे0 व 17 क्षे0 0.339 हे0 से मिटटी की निकासी 4 से 4.5 फिट की गयी है। (छायाप्रति संलग्नक)

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में प्रकरण में करायी गयी संयुक्त जांच आख्या दिनांक 04.04.2024 संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अनुपालन आख्या समयान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्राप्त कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने का कष्ट करे ताकि कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

10/04/2024  
खान अधिकारी,  
बिजनौर।

कृपया संलग्न सन्दर्भ कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 1007/खनिज अनुभाग-24 दिनांक 04.04.2024 में कन्सलटेन्ट न्यायिक, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक श्री मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने को प्रेषित नोटिस के क्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 11/13.03.2024 के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र, जो संलग्न है, में उल्लिखित कथन व श्री रफत नईम सिद्दकी के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 में उल्लिखित कथन की सत्यता की जाँच चाही गयी है, जिसकी जाँच आख्या निम्नवत् है :-

उक्त के सम्बन्ध में अद्यत कराना है कि आज दिनांक 04.04.2024 को राजस्व विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर प्रकरण की जाँच की गयी, जिसमें संलग्न कार्यालय पत्रांक 1007/खनिज अनुभाग-24 दिनांक 04.04.2024 के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र में पत्नी मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर द्वारा ईट भट्टा मितलनसार ब्रिफ यर्क्स ग्राम अबुलखैरपुर परगना व तहसील नगीना के मालिक है, ने मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदन सं0 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में रफत नईम सिद्दकी द्वारा दिनांक 21.03.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र, जिसमें ग्राम सैदअलीपुर के खसरा संख्या 35 की मेढ पर ग्राम अबुल खैरपुर में स्थित खसरा सं0 55 के काश्तकार राहिला खातून पत्नी अनीस अहमद, मौ0 याकूब पुत्र मौ0 इशाक, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार पुत्रगण अ0 रशीद निवासीगण शादीपुर द्वारा अपनी कृषि गूनि अवैध खनन के लिए भट्टा मालिक मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने को दे रखी है, जिसमें ईट भट्टा मालिक ने 8 फिट गहरा खनन किये जाने की शिकायत की है। आज दिनांक 04.04.2024 को मौके पर संयुक्त निरीक्षण में जाँच में पाया गया कि शिकायतकर्ता रफत नईम सिद्दकी आदि काश्तकारों के गाटा संख्या 35 रकबा 9.270 हे0 स्थित ग्राम सैदअलीपुर से ग्राम अबुलखैरपुर का गाटा सं0 55 रकबा 0.562 हे0 मिला हुआ नहीं है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को रफत नईम सिद्दकी द्वारा गाटा सं0 55 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के जो सहखातेदार शिकायत में उल्लिखित किये गये हैं, वह अरात्य एवं निराधार है। ग्राम अबुलखैरपुर के गाटा सं0 55 पर राजस्व रिकार्ड अनुसार ओमपाल सिंह, राजपाल सिंह, रामचरन सिंह व भदन सिंह पुत्रगण शंकर सिंह निवासीगण शादीपुर के नाम दर्ज अभिलेख हैं। उक्त गाटा सं0 55 ग्राम अबुलखैरपुर, ग्राम सैदअलीपुर के गाटा सं0 35 से लगभग 01 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें कोई भी खनन कभी भी नहीं किया गया है। स्थलीय जाँच में गाटा संख्या 35 स्थित ग्राम सैदअलीपुर पर भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई खनन नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता श्री रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गयी शिकायत निराधार व असत्य पायी गयी। ईट भट्टा स्वामी मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर के द्वारा ग्राम अजुपुरा रानी के गाटा संख्या 231 व ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 13 क्षे0 0.680 हे0, 14 क्षे0 1.607 हे0, 16 क्षे0 0.338 हे0 व 17 क्षे0 0.339 हे0 से मिट्टी की निकासी 4 से 4.5 फिट की गयी है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

हल्का लेखपाल  
क्षेत्र राजस्व साहाय  
04/04/2024

राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र राजस्व साहाय

खान निरीक्षक,  
बिजनौर।

तहसीलदार  
नगीना।

04/04/2024  
उपजिलाधिकारी  
नगीना।

उपजिलाधिकारी,  
नगीना।

बयान

बयान श्री ओमपाल सिंह सुप्र सांकर सिंह उम्र लगभग 66 वर्ष, जाति-सैनी  
पेशा कृषि नि. ग्राम-आडीपुर परगना व तहसील नगीना, जिला नवलपरासी के  
साथ-ये निवासी है।

मे वहालक बयान करता हूं कि उपरोक्त मेरा नाम व पता सही है।  
मे बयान करता हूं कि मेरी <sup>पत्नी</sup> सांकराणी कनूत मौजा-अखुल ~~खेरा~~ परगना व-  
तहसील नगीना के खतार सं. 55 रकबा 0.562 है। खेरा के सखोटे पर वृषक  
है तथा मेरी कृषि खेरा में कोई खनन नहीं कराया है और न किया है। मेरी  
खेरा में जाने की पत्तल, गेहूं व बरसीम की फसल खेरा पर बोई हुई है।  
मेने खनन हेतु मेरे अफरम सुप्र सुने नि. आडीपुर परगना व तहसील नगीना  
को खनन हेतु शर्त नहीं दी है।

गवाह: श्री प्रदीप सिंह  
शहदास आलम

Vijay  
04/04/2024

उपस्थिति पत्र

आज दिनांक 04/04/2024 को कार्यालय जिला बिहारी किजमें  
के पत्रांक सं. 1007/स्वनिज अनुभाग 2024 दिनांक 04/04/2024 के अनुपाल  
में ग्राम-शेखलीपुर व ग्राम-अबुलखैरपुर के गाथ लं की औपस्थिति  
यम द्वारा मौजूद पर उपस्थित होकर की गयी वहां पर उपस्थित व्यक्तियों  
के हस्ताक्षर व तिथानी अंश निम्नप्रद है:

*[Signature]*  
04-04-2024  
मनमोहन गोइले  
जिला लेखपाल

*[Signature]*  
04/04/2024  
जिला लेखपाल

*[Signature]*  
04/04/24  
LMF BIGNOR


इसका लम  
श्री. शंकर प्रसाद

नजदी नक्शा


ग्राम - खेत अलीपुर

व

अबुल खैर परगना तहसील नगीना  
↓  
जिला - बिजनौर



ग्राम - अबुल खैरा, परगना वरहलील नगीना, जिला बिजनौर




*[Signature]*  
 विजय कृष्ण 04/08/2024  
 तहसील नगीना, बिजनौर

गाव लं 13 (कवा-680) हे  
ग्राम अखुल बैरपा पणत व रद. मौना जतपद वि.गरी




ग्राम अखुल बैरपा


गाव लं 16 (कवा-0338) हे



ग्राम - अबुल खैर साहब व लखीम साहब  
साहब-बिजौर साहब 55 से 0.562 हे.



ग्राम सेइशलीया परगा व दख - 111 11  
साहब सं - 35 से 0.562 हे.



Handwritten signature and text, possibly indicating a location or date.



## Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No. : IN-UP93814654511852W  
 Certificate Issued Date : 12-Mar-2024 05:02 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14280204/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1428020483873767695564W  
 Purchased by : OMPAL SINGH SO SHANKAR SINGH  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : OMPAL SINGH SO SHANKAR SINGH  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : OMPAL SINGH SO SHANKAR SINGH  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Print your name in type below this line

शपथपत्र

समक्ष-सक्षम अधिकारी

शपथपत्र मिनजानिब-: ओमपाल सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी ग्राम शादीपुर नगीना जिला बिजनौर।  
 मैं शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ कि -  
 1-यह कि उपरोक्त लिखा मेरा नाम व पता बिल्कुल सही है।  
 2-यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी आराजी ग्राम अबुलखैरपुर के खसरा नं-55 काकाशतकार है।  
 3- यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि हमने अपने खसरा नं0-55 मे पिछले 15 वर्षों से खेती कर रहे है।  
 4-यह कि हमारे द्वारा कभी भी मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी शादीपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर को मिटटी निकासी के लिए भूमि नहीं दी है।  
 5-यह कि उपरोक्त लिखा शपथपत्र का पैरा न0 1 ता 4 मेरे ज्ञानानुसार सही व सत्य है इसमें कुछ झूठ नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक

I solemnly declare me on this 13-3-2024  
 by Om Pal Singh  
 who has been identified by Mahesh Chand Tragi  
 who is personally known to me.  
 whose signature (s) is/are here to appended

Mahesh Chand Tragi  
 Notary Advocate

## कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक: 1007/खनिज अनुभाग-2024

विषय: कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में संलग्न प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन की सत्यता की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

दिनांक 04 अप्रैल, 2024


1. उपजिलाधिकारी नगीना।
2. तहसीलदार नगीना।
3. खान अधिकारी बिजनौर।

कृपया उपरोक्त विषयक कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई-मेल पत्रांक NGT/judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 359/2022 रफअत नईम सिद्दकी बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में अनुपालन आख्या से अयगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी मा० अकरम प्रो० मा० मिलनसार ग्रिक वर्क्स ग्राम अवुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर द्वारा अपने पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2024 व 13.03.2024 कार्यालय में प्रस्तुत कर अयगत कराया गया है कि प्रार्थी का ईट भट्टा मिलनसार ग्रिक वर्क्स ग्राम अवुल खैरपुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर में स्थित है। प्रार्थी के समीपवर्ती ग्राम अजुपुरा रानी निवासी रफत नईम सिद्दकी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में आवेदन नम्बर 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत कर कथन किया गया कि 2021/2022 में उनकी भूमि सैदअलीपुर के खसरा नम्बर 35गि व अवुल खैरपुर के खसरा नम्बर 55 में 8 फिट गहरा अवैध खनन किया गया है। उक्त शिकायत गलत तथ्यों पर आधारित है। जबकि प्रार्थी द्वारा अवुल खैरपुर के खसरा नम्बर 13 में व 14, 16, 17 के कुछ भाग में नियमानुसार 5 फिट गहराई से कम खनन किया गया है। प्रार्थी द्वारा 2021/2022 में किये गये खनन की परमिशन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त सन्दर्भ में श्रीमान के कार्यालय द्वारा पूर्व में जाँच कराकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित की गयी थी। लिपिकीय त्रुटियश से 5 फिट के स्थान पर 5 मीटर व खसरा नम्बर 12, 15 लिखा गया है तथा उपरोक्त खसरा नं० 35गि, 55 व 12, 15 में प्रार्थी द्वारा खनन नहीं कराया गया है। प्रार्थी के पास प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से दिनांक 31.07.2027 तक एन०ओ०सी प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के अन्त में उपजिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा ग्राम अवुल खैरपुर के लेखपाल व कानूनगो द्वारा पुनः मौके की सही जाँच कराकर अतिशीघ्र राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई-मेल पत्रांक NGT/judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में प्रार्थी मा० अकरम प्रो० मा० मिलनसार ग्रिक वर्क्स ग्राम अवुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2024 व 13.03.2024 मय संलग्नक आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में व उपरोक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन की सत्यता की संयुक्त जाँच कर जाँच आख्या से तत्काल क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि उनके द्वारा अनुपालन आख्या से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अयगत कराया जा सके।


संलग्नक:- यथोक्त।

  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/  
प्रभारी अधिकारी (खनन)  
बिजनौर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्वन्धित से समन्वय स्थापित कर जाँच आख्या व अनुपालन आख्या समयान्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/  
प्रभारी अधिकारी (खनन)  
बिजनौर।

महोदय,


कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 926/खनिज अनुभाग-24 दिनांक 12.03.2024, जिसमें कन्सल्टेंट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई-मेल पत्रांक NGT/judicial /OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में पक्ष/स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी का ईट भट्टा मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर में स्थित है। प्रार्थी के समीपवर्ती ग्राम अजुपुरा रानी निवासी रफत नईम सिद्दकी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आवेदन नं0 359/22 रफत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह खसरा नं0 35मि स्थित ग्राम सैद अलीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के निवासी है। इसी खसरा नं0 35मि के काश्तकार श्रीमती सायरा बेगम पत्नी श्री नईमुद्दीन, नदीम अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर भी है। प्रार्थीगण के मेढ के खसरा नं0 55 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के काश्तकार राहिला खातून पत्नी श्री अनीस अहमद, श्री मकबूल हुसैन पुत्रगण अनीस अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी, श्री मनसूल हसन पुत्र श्री अनीस अहमद, मौ0 याकूब पुत्र मौ0 इश्हाक, श्री अ0 सत्तार पुत्र अ0 गफ्फार पुत्रगण श्री अ0 रशीद निवासीगण ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना एवं शिवचरन सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह, अरविन्द पुत्र भूदेव निवासी शादीपुर द्वारा अपनी कृषि भूमि में से अवैध खनन के लिए भट्टा मालिक मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने (प्रार्थी) को दी है, जिसमें प्रार्थी ने लगभग 8 फिट का गहरा खनन किये जाने की शिकायत की गयी है। उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त शिकायत/आरोप बेबुनियाद/झूठे हैं। विपक्षीगण रफत नईम सिद्दकी द्वारा अपनी आपसी रजिश् के चलते प्रार्थीगण के खिलाफ मा0 न्यायालय को फर्जी शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत में नईम सिद्दकी द्वारा ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 55 पर प्रार्थी द्वारा 8 फिट खनन किये जाने की शिकायत की गयी है जबकि प्रार्थी द्वारा ईट भट्टा सत्र 2021-22 में ग्राम अजुपुरा रानी के गाटा सं0 231 व ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 13, 14, 16, 17 से मिट्टी निकासी की गयी थी, जिसके साक्ष्य स्वरूप मिट्टी अनुमति पत्र की छायाप्रति संलग्न है। श्री रफत नईम सिद्दकी द्वारा अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 में ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 55, जो उनके द्वारा काश्तकार राहिला खातून पत्नी श्री अनीस अहमद, श्री मकबूल हुसैन पुत्रगण अनीस अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी, श्री मनसूल हसन पुत्र श्री अनीस अहमद, मौ0 याकूब पुत्र मौ0 इश्हाक, श्री अ0 सत्तार पुत्र अ0 गफ्फार पुत्रगण श्री अ0 रशीद निवासीगण ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना एवं शिवचरन सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह, अरविन्द पुत्र भूदेव निवासी शादीपुर के नाम दर्ज होना दर्शाया गया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 55 रकबा 0.562 हे0 राजस्व अभिलेखों में श्री ओमपाल सिंह, मदन सिंह, राजपाल सिंह, रामचरन सिंह पुत्र शंकर सिंह के नाम दर्ज है (खतौनी छायाप्रति संलग्नक), जिनके द्वारा अपनी आराजी से मिट्टी निकासी के सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध प्रार्थीगण के द्वारा नहीं किया गया है और न ही प्रार्थी द्वारा उक्त गाटा सं0 55 से कभी मिट्टी निकासी की गयी है। उक्त गाटे सं0 55 के काश्तकारों द्वारा उक्त गाटे से मिट्टी निकासी न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र की प्रति संलग्न है। इस प्रकार रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी शिकायत निराधार एवं असत्य है, जिनके द्वारा प्रार्थी के व्यवसाय में क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त शिकायत मा0 न्यायालय में की गयी है। प्रार्थी के पास प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनापत्ति, जो दिनांक 31.07.2027 के लिए निर्गत है, की छायाप्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थी द्वारा कभी भी ग्राम सैदअलीपुर के खसरा सं0 35मि व ग्राम अबुल खैरपुर के खसरा सं0 55 में कभी भी खनन नहीं किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी के उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुनः उपजिलाधिकारी नगीना, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व खनन विभाग की संयुक्त टीम से मौके की जाँच कराकर प्रार्थी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही को निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

संलग्नक :- यथोक्त।

दिनांक 13.03.2024



प्रार्थी

मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने  
निवासी ग्राम शादीपुर  
तहसील नगीना जिला बिजनौर।

M. = 8779827618

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

जनपद बिजनौर

विषय:- पुनः जाँच कराने के सम्बन्ध में

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी का ईट भट्टा मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अब्बुल खैरपुर तहसील नगीना, जनपद बिजनौर में स्थित है। प्रार्थी के समीपवर्ती ग्राम अजुपुरा रानी निवासी रफत नईम सिद्दीकी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में आवेदन नम्बर 359/2022, रफत नईम सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत कर कथन किया गया कि 2021/2022 में उनकी भूमि सैदअलीपुर के खसरा नम्बर 35मि0 व अब्बुल खैरपुर के खसरा नम्बर 55 में 8 फिट गहरा अवैध खनन किया गया है। उक्त शिकायत गलत तथ्यों पर आधारित है। जबकि प्रार्थी द्वारा अब्बुल खैरपुर के खसरा नम्बर 13 में व 14, 16, 17 के कुछ भाग में नियमानुसार 5 फिट गहराई से कम खनन किया गया है। प्रार्थी द्वारा 2021/2022 में किये गये खनन की परमिशन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त सन्दर्भ में श्रीमान के कार्यालय द्वारा पूर्व में जाँच कराकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित की गयी थी। लिपिकीय त्रुटिवश से 5 फिट के स्थान पर 5 मीटर व खसरा नम्बर 12, 15 लिखा गया है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर 35मि0, 55 व 12, 15 में प्रार्थी द्वारा खनन नहीं कराया गया है। प्रार्थी के पास प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से दिनांक 31-07-2027 तक एन.ओ.सी. प्राप्त है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गयी शिकायत का अभी तक प्रार्थी को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। ताकि प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपजिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा ग्राम अब्बुल खैरपुर के लेखपाल व कानूनगो द्वारा पुनः मौके की सही जाँच कराकर अतिशीघ्र राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित करने की कृपा करें।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक- 11-3-2024

8779827618

श्री. अकरम  
प्रोपराईटर

मौ0 अकरम / मिलनसार ब्रिक वर्क्स  
ग्राम अब्बुल खैरपुर, तहसील नगीना  
जिला बिजनौर, उ0प्र0।

OCC (Mines)  
Rs check.

11/3/24  
जिलाधिकारी  
बिजनौर

श्रीमान खनन अधिकारी

19

(49)

जिलाधिकारी कार्यालय

बिजनौर।-248782

विषय-मट्टा मालिक द्वारा मानक से अधिक अवैध खनन के  
समबन्ध मे-

महोदय,

516 / LP / 2022  
30 / 3 / 22

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के निवासी है। प्रार्थीगण खसरा नं० 35 मि० स्थित ग्राम सैद अलीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के निवासी है। इसी खसरा नं० 35 मि० के काश्तकार श्रीमति सायरा बेगम पत्नी श्री नईमुददीन, नदीम अहमद निवासीगण ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर भी है। प्रार्थीगण के मेड के खसरा नं०-0055 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के काश्तकार राहिला खातून पत्नी श्री अनीस अहमद श्री मकबूल हुसैन पुत्रगण श्री अनीस अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर एवं श्री मन्सुबुल हसन पुत्रगण श्री अनीस अहमद, श्री मौ० याकूब, श्री मौ० इश्हाक श्री अ० सत्तार एवं श्री अ० गफफार पुत्रगण श्री अ० रशीद निवासीगण ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर एवं शिवचरन सिंह पुत्र श्री बुद्ध एवं अरविन्द पुत्र श्री भूदेव सिंह निवासी ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना ने अपनी कृषि भूमि मे से अवैध खनन के लिये मट्टा मालिक मौ० अकरम पुत्र श्री मुन्ने को दे रखी है इस मट्टा मालिक ने जे०सी०बी० मशीन मानक से अधिक लगभग आठ फिट गहरी खनन कर लिया है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा सं०-35 मि० के सिहददे से उत्तर से दक्षिण डेढ मीटर चौडी एवं 25 मीटर लम्बी व आठ फिट गहरी कृषि भूमि मे अवैध खनन कर लिया है पूर्वी साइड मे देड पडने के कारण अनुपयोगी हो गयी है। प्रार्थीगण को धान व गन्ने की फसल बाने के लिये प्रार्थी को उसमे अलग से मिट्टी डलवानी पडी है मट्टा मालिक द्वारा मानक

Ld. R. G.  
29-3-2022  
LP

D

-2-

से अधिक मिट्टी का खनन करने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में खेती करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थीगण ने कई बार समझाया लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि न्यायहित में स्थल का निरीक्षण करके मानक से अधिक गहरी अवैध खनन हेतु उपरोक्त वर्णित कृषको एवं मानको से अधिक गहरे अवैध खनन करने के लिये भट्टा मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

दिनांक-21.03.2022

प्रार्थी  
रफअत नेहम सिंह  
जिला कोर्ट नगीना बिजनौर (उ.प्र.)  
रफअत नेहम सिंह पुत्र 06 कसीमुद्दीन

रफअत नेहम सिंह  
एडवोकेट  
जिला कोर्ट नगीना बिजनौर (उ.प्र.)  
फोन नं०- 9756067098

निवासी ग्राम अजुपुरा रानी  
परगना व तहसील तहसील नगीना  
जिला बिजनौर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

- 1-श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बिजनौर
- 2-श्रीमान आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद
- 3-योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ए० प्र० सरकार लखनऊ
- 4-श्रीमान अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय हरित अधिकारण फरीदकोट हाउस कार्पनिकस मार्ग निकट इण्डिया गेट नई दिल्ली। 110001



**Uttar Pradesh Pollution Control Board**  
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
 Phone: 0522-2720828, 2720831, Fax: 0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

171184/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/BIJNOR/2022

Date: 09/12/2022

To,

M/s

MILANSAR BRICK WORKS

VILLAGE-ABUL KHAIRPUR, TEHSIL-NAGINA, DISTT.-BIJNOR  
 ,BIJNOR,246762

Application Id-  
 18815837

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to MILANSAR BRICK WORKS located at VILLAGE-ABUL KHAIRPUR, TEHSIL-NAGINA, DISTT.-BIJNOR, BIJNOR, 246762. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA MILANSAR BRICK WORKS granted for the period from 02/12/2022 to 31/07/2027 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Bricks 20000 No./day	20000	Numbers/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Industrial	Zero	NA	NA
Domestic	01 KLD	Septic Tank	Irrigation of green belt with in premises

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

#### Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
1	pH	6.5-9.0
2	COD	250 mg/l
3	BOD	30 mg/l

4	Oil & Grease	10 mg/l
5	Total Suspended Solids	100 mg/l

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

### 3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

#### Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Brick Kiln	Coal/Wood 03 Ton/day	1	Particulate Matter	30 Meter Stack Height from Ground Level and Gravitational settling chamber as APCS

#### Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	As per norms

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

### 4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

- (ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

#### General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

- (i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
- (ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
  6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
  7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
  8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

#### General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

**Specific Conditions:-**

The Brick Kiln shall ensure strict compliance with all terms & conditions with consent and compliance report submitted within one month and then be sure to submit with a gap of 03 months.

1. This CTO is being granted to M/s MILANSAR BRICK WORKS, VILLAGE-ABUL KHAIKUR, TEHSIL-NAGINA, DISTT.-BIJNOR for 20000 Bricks Per Day. This CTO will be VOID if there is any change in the above-mentioned address or product. The applicant shall make an application along with the prescribed fee for renewal consent(CTO) at least 30 days before the operation of the unit.
2. The brick kiln shall ensure to comply with the provisions of guidelines issued by the MoEF & CC Date 22-02-2022 and accordingly shall be converted into Zig Zag technology.
3. This Consent is being issued in the compliance of the direction issued by the Head Office of the UPPCB vide letter no. H81095/C-6/Saa-207/Ent Bhatta Nodal/2022 Date 13-09-2022 regarding special camp.
4. The Brick Kiln should be use coal as fuel in the process. Organics, solvents, Petcock, Hazardous waste & Other waste, Plastic Rubber Leather etc are not allowed to use as a fuel in the Brick Kiln.
5. A thick green belt of trees of suitable species shall be developed in multi lineate staggered manner on a minimum 33% of the land on which the industry is established. as per the "Protocol for Development of Green Belt" notified vide Board Office Order No.H16405/220/2018/02 dated. 16.02.2018 in this regard and available at URL [http://www.uppcb.com/pdf/GreenbeltGuidle\\_160218.pdf](http://www.uppcb.com/pdf/GreenbeltGuidle_160218.pdf).
6. Industry shall ensure adequate plantation and green belt within its premises and submit the compliance report within three months.
7. The operation of Brick Kiln should be such way that produce emission should not have any adverse effect on the nearby environment or the population.
8. If Consent fees due shall be deposited by Net Banking or Debit card.
9. The Brick Kiln shall ensure the water sprinkling three or four times daily in Brick Kiln campus for control of dust emission.
10. The Brick Kiln complying the Hon; ble National Green Tribunal, New Delhi order O.A. No.718/2017 dated 09.10.2019.
11. The Brick Kiln complying the order of Hon; ble High Court, Allahabad Dt. 03.12.2014 & Hon; able National Green Tribunal, New Delhi order Dt. 14.01.2015.
12. The Brick Kiln should submit the stack emission & ambient air monitoring report with every three month positively to the board by approved Laboratory.
13. The Brick Kiln should developed proper pacca roads in the premises of Brick Kiln to avoid the dust emission from transportation of the vehicles.
14. Brick kiln shall proper maintain flue gas monitoring platform/porthole/ladder attached to stack at all times. If the said platform/porthole/ladder is not found to be in operational conditions, then the consent can be cancelled.
15. In case of any public grievance against the Brick Kiln and confirmation of the same, then CTO certificate my be cancelled.
16. The Brick kiln unit shall be submit the stack emission & ambient air monitoring report within one month in operation condition of the brick kiln positively to the board by approved Laboratory.
17. This consent is issued purely from environmental angle and the Board will not be responsible for any claim, counter claim, ownership, partnership, land dispute etc of the unit.
18. At least 20% bio fuel such as bio brackets must be used in your brick kiln as per availability.
19. The Brick Kiln shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
20. The Board have right to modify any conditions as and when require in compliance of any change in Environmental Guidelines and Hon' ble Court orders passed time to time.



दूरभाष व फ़ैक्स: (01342) 260434  
ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टेमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

सन्दर्भ सं० : 572/N-43/जनरल-2024

दिनांक : 27-8-2024

सेवा में,

महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

जिला खान अधिकारी  
बिजनौर।


विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 सं0-359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक-30.07.2024 के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वाद, शिकायतकर्ता श्री रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित किया गया था। मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष संयुक्त जांच आख्या दिनांक-23.07.2022 प्रेषित की गयी थी, जिसमें गाटा संख्या-12 एवं 15 ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर में 4.5 फीट गहराई में मिट्टी का खनन होना पाया गया तथा गाटा संख्या-35मि0, ग्राम-सैदअलीपुर में मिट्टी का खनन होना नहीं पाया गया, का उल्लेख किया गया है।


आपके कार्यालय के पत्रांक-1046/खनिज अनुभाग-2024 दिनांक-09.04.2024 के साथ संलग्न संयुक्त जांच आख्या में गाटा संख्या-12 एवं 15 ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर पर मिट्टी का खनन किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि गाटा संख्या-12 एवं 15 ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर पर किये गये मिट्टी के खनन के संबंध में आपके विभाग के द्वारा प्रदान की गयी खनन अनुज्ञा/अनुमति, उक्त गाटा किस व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा किस व्यक्ति/संस्था के द्वारा उक्त गाटे में खनन का कार्य कितने क्षेत्रफल/घनमीटर में किया गया है एवं उक्त मिट्टी का खनन किस कार्य हेतु किया गया, की जांच आख्या इस कार्यालय को एक सप्ताह में प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे वस्तुस्थिति से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराया जाना सम्भव हो सकें।

भवदीय,

  
(विजय)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-मौहम्मद अकरम पुत्र श्री मुन्ने, पार्टनर, मैसर्स मिलनसार ब्रिक वर्क्स, ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

सेवा 3

सौमान क्षेत्रीय अधिकारी अहमदनगर  
305 निपत्रण बाई बिनोर

पत्री नं. 951  
दिनांक 27-8-2024  
पत्रावली संख्या 104/2024/अ.प्र.

अहमदनगर

निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय दंडित अधिकरण नहीं दिल्ली  
में घोषित बाद कायदा संख्या. 359/2022 रफत नईम सिद्दीकी बनाम  
स्टेट यू पी व अन्य के पॉलि आदेश दिनांक 22-7-23 के क्रम में  
प्रवृत्त कराना है कि ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जमपद  
बिनोर के गारा संख्या 12 एवं गारा संख्या 15 के मिट्टी के  
खनन का कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया है वरन् गारा संख्याओं  
की जांच खनन विभाग से कराया जाना निरन्तर आवश्यक है।

भला

आपसे अनुरोध है कि गारा सं. 12 व गारा  
सं. 15 के मिट्टी के खनन हेतु फिचें गैंग माफ की जांच खनन  
विभाग से करवाने की कृपा करें आपकी प्रति कृपा होती है।

खनन विभाग को  
40 दिनों में

दिनांक - 27-08-2024

8779827618

श्री. अकाल

प्राची बिन साठ बिल वरुण

ग्राम - अबुल खैरपुर

तह. - नगीना

जि. - बिनोर

AEE/SA

27/8/24

SA  
Munir

21/8/24

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक: 162 / खनिज अनुभाग-2024

विषय:

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 के अनुपालन में जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

दिनांक: 06 सितम्बर, 2024

पत्रांक: 995

दिनांक: 07-9-2024

पत्रावली सं0 N-43/जनरल-2024

1. उपजिलाधिकारी नगीना।
2. तहसीलदार नगीना।
3. खान अधिकारी बिजनौर।

कृपया उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर के कार्यालय पत्रांक 572/N-43/जनरल-2024 दिनांक 27.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसमें अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1046/खनिज अनुभाग-2024 दिनांक 09.04.2024 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न संयुक्त जाँच आख्या में गाटा संख्या 12 एवं 15 ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर पर मिट्टी का खनन किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में गाटा संख्या 12 व 15 ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर पर किये गये मिट्टी के खनन के संबंध में प्रदान की गयी खनन अनुज्ञा/अनुमति, उक्त गाटा किस व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा किस व्यक्ति/संस्था के द्वारा उक्त गाटे में खनन का कार्य कितने क्षेत्रफल/घनमीटर में किया गया है एवं उक्त मिट्टी का खनन किस कार्य हेतु किया गया, की जाँच आख्या कार्यालय को एक सप्ताह में प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर के कार्यालय पत्रांक 572/N-43/जनरल-2024 दिनांक 27.08.2024 की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप पत्र में उल्लिखित गाटा संख्या 12 एवं 15 ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के संबंध में प्रदान की गयी खनन अनुज्ञा/अनुमति, गाटा किस व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा किस व्यक्ति/संस्था के द्वारा उक्त गाटे में खनन का कार्य कितने क्षेत्रफल/घनमीटर में किया गया है एवं उक्त मिट्टी का खनन किस कार्य हेतु किया गया, के सम्बन्ध में उपरोक्त गाटाओ का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपनी सुस्पष्ट जाँच आख्या इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि जाँच आख्या से क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को समयान्तर्गत अवगत कराया जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/  
प्रभारी अधिकारी (खनन)  
बिजनौर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर जाँच आख्या व अनुपालन आख्या समयान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/  
प्रभारी अधिकारी (खनन)  
बिजनौर।

दूरभाष व फ़ैक्स: (01342) 260434

ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

सन्दर्भ सं० : 765/N-43/जनरल-2024

दिनांक : 29-10-2024

अनुस्मारक

महत्वपूर्ण/मा० एन०जी०टी० प्रकरण

सेवा में,

जिला खान अधिकारी  
बिजनौर।

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ० ए० सं०-359/2022 रफ्त नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-30.07.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-572/एन-43/जनरल-2024 दिनांक-27.08.2024 एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी (खनन), बिजनौर के पत्र संख्या-162/खनिज अनुभाग-2024 दिनांक-06.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। महोदय आप अवगत हो कि उक्त वाद में शिकायतकर्ता श्री रफ्त नईम सिद्दकी द्वारा मा० एन०जी०टी० में योजित किया गया है। मा० एन०जी०टी० के समक्ष संयुक्त जांच आख्या दिनांक-23.07.2022 प्रेषित की गयी थी, जिसमें गाटा संख्या-12 एवं 15, ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर में 4.5 फीट गहराई में मिट्टी का खनन होना पाया गया तथा गाटा संख्या-35मि०, ग्राम-सैदअलीपुर में मिट्टी का खनन होना नहीं पाया गया, का उल्लेख किया गया है।

आपके कार्यालय के पत्रांक-1046/खनिज अनुभाग-2024 दिनांक-09.04.2024 के साथ संलग्न संयुक्त जांच आख्या में गाटा संख्या-12 एवं 15, ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर पर मिट्टी का खनन किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।


अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे पुनः अनुरोध है कि गाटा संख्या-12 एवं 15, ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर पर किये गये मिट्टी के खनन के संबंध में आपके विभाग के द्वारा प्रदान की गयी खनन अनुज्ञा/अनुमति, उक्त गाटा किस व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा किस व्यक्ति/संस्था के द्वारा उक्त गाटे में खनन का कार्य कितने क्षेत्रफल/घनमीटर में किया गया है एवं उक्त मिट्टी का खनन किस कार्य हेतु किया गया, की जांच आख्या की एक प्रति अविलम्ब इस कार्यालय में प्रेषित कराने का कष्ट करें, मा० एन०जी०टी० के समक्ष उक्त रिपोर्ट/जांच आख्या प्रस्तुत की जानी है, चूंकि प्रकरण में अगली नियत सुनवाई दिनांक-08.11.2024 नियत है, जिससे एक सप्ताह पूर्व उक्त आख्या मा० एन०जी०टी० के समक्ष वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना सम्भव हो सकें।

भवदीय,



(विजय)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-मौहम्मद अकरम पुत्र श्री मुन्ने, पार्टनर, मैसर्स मिलनसार ब्रिक वर्क्स, ग्राम-अबुल खैरपुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी

20/10/24

ANNEXURE-R4203

## कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक: 412 / खनिज अनुभाग-2024

दिनांक: 20 अक्टूबर, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड  
बिजनौर।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 572/N-43/जनरल-2024 दिनांक 27.08.2024 व 765/N-43/जनरल-2024 दिनांक 22.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक 1046/खनिज अनुभाग-2024 दिनांक 09.04.2024 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न संयुक्त जॉच आख्या में गाटा संख्या 12 एवं 15 ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर पर मिटटी का खनन किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में गाटा सं0 12 एवं 15 ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर पर किये गये मिटटी के खनन के संबंध में प्रदान की गयी खनन अनुज्ञा/अनुमति, उक्त गाटा किस व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा किस व्यक्ति/संस्था के द्वारा उक्त गाटे में खनन का कार्य कितने क्षेत्रफल/घनमीटर में किया गया है एवं उक्त मिटटी का खनन किस कार्य हेतु किया गया, की जॉच आख्या कार्यालय को एक सप्ताह में प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के गाटा सं0 12 एवं 15 पर किये गये मिटटी के खनन के संबंध में खनन अनुज्ञा/अनुमति, उक्त गाटा किस व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा किस व्यक्ति/संस्था के द्वारा उक्त गाटे में खनन का कार्य कितने क्षेत्रफल/घनमीटर में किया गया है एवं उक्त मिटटी का खनन किस कार्य हेतु किया गया, की जॉच किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी नगीना, तहसीलदार नगीना व अधोहस्ताक्षरी को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय द्वारा कार्यालय पत्रांक 162/खनिज अनुभाग-24 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रकरण में जॉच टीम द्वारा दिनांक 25.10.2024 को जॉच कर जॉच आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि ग्राम अबुल खैरपुर की गाटा सं0 12 रकबई 0.445 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में इनाम अली, अहसान अली, उस्मान अली पुत्रगण अ0 वाहिद व मौ0 जाकिर, मौ0 फरमान, नाजिर हुसैन, शोएब अली अंसारी, फिरोज अली पुत्रगण व इस्लाम अली व हाशमी पत्नी इस्लाम अली निवासीगण ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना के नाम (सं0भू0) भूमिधर के रूप दर्ज है तथा उक्त गाटे के सहखातेदार इनाम अली पुत्र अ0 वाहिद के द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि मैंने तथा मेरे भाइयों ने अपने खेत की मिटटी 5-6 वर्ष पूर्व मै0 शिव ईट उद्योग अबुल खैरपुर (शादीपुर) को दी थी तथा शिव ईट उद्योग के मालिक अरविन्द कुमार पुत्र सुखलाल सिंह नि0 ग्राम शादीपुर के द्वारा भी अपने बयानों में गाटा सं0 12 से मिटटी उठाने की बात स्वीकार की है तथा उठायी गयी मिटटी की रायल्टी जमा करने से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध कराये गये हैं, जो संलग्न हैं। उक्त गाटा सं0 12 से  $56 \times 18 \times 1.37 = 1380.96$  घन0मी0 तथा  $34.4 \times 100 \times 1.1 = 3784$  घन0मी0 अर्थात् कुल 5164.96 घन0मी0 खनन मै0 शिव ईट उद्योग द्वारा किया गया है, इसके अतिरिक्त ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 15 रकबई 1.880 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में हिमचल देवी पत्नी अरविन्द कुमार नि0 ग्राम शादीपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है, जिसमें हिमचल देवी के द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि मेरे द्वारा खेत के ऊंचा-नीचा होने के कारण कुछ मिटटी अपने घर का रास्ता तथा घर बनाने हेतु स्वयं उठायी गयी है तथा गाटा सं0 15 से अवैध खनन  $5 \times 75 \times 1.37 = 513.75$  घन0मी0 किया गया है तथा मिटटी उठाने हेतु हिमचल देवी के द्वारा कोई परमिशन प्राप्त नहीं है, आख्या प्रेषित की गयी है। जॉच में हिमचल देवी द्वारा गाटा सं0 15 से 513.75 घन0मी0 मिटटी का बिना अनुमति अवैध खनन किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.10.2024 में उपरोक्त कृषक को अवैध खनन के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त कृषक को कार्यालय पत्रांक 407/खनिज अनुभाग-24 दिनांक 28.10.2024 के द्वारा मिटटी के अवैध खनन के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत कर दिया गया है। प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

संलग्नक:- यथोक्त।



खान अधिकारी,  
बिजनौर।

महोदय

संलग्न सन्दर्भ कागज़लिय जि लाखिकारी बिजनौर  
के पत्र सं. 162/खनिज अनुभाग 2024 दिनांक 06 दिसम्बर  
2024 में माननीय राष्ट्रीय धरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा  
ओ.ए. सं. 359/2022 रफ्तनईम सिपदीकी बनाम स्टेट ऑफ  
यूपी में पारित आदेश दिनांक 30-07-2024 के अनुपालन में  
जॉय कर आख्या उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित है:-

उक्त अकरण के सम्बन्ध में सदर अकरण कराना है  
कि ग्राम- अब्दुल खैरपुर परगना व तहसील नगीना  
जिला-बिजनौर कुं गाथ सं. 12 रकब 545 हे तथा गाथ  
सं. 15 रकब 1-880 हे में किये गये खनन की अनुज्ञा तथा  
उक्त गाथ नम्बरान किन व्यक्तियों के नाम दर्ज है, तथा  
किस्त व्यक्तियों/संस्था के द्वारा उक्त गाथों में बिहने घनमीलक  
उक्त खनन की मिट्टी का किस कार्य हेतु प्रयोग किया गया है।  
कि जॉय चाही गयी है, जॉय में पाया गया कि ग्राम-  
अब्दुल खैरपुर की गाथ सं. 12 रकब 545 हे अशिराफ  
अमि लेखी में इनाम अली, अहसान अली, उस्मान अली, सुप्रमण अवाहद  
व सै. जाकिर. सै. फरमान नाकिर हुसैन, शौएव अली अंधारी फिरोज अहद,  
सुप्रमण इस्लाम अली व संशमी पत्नी इस्लाम अली निवासी गल ग्राम  
शादीपुर परगना व तहसील नगीना के नाम (संज्ञा) अधिकार के  
इप में दर्ज है तथा उक्त गाथ के सहजारेदार इनाम अली सुप्र  
अ. वाहद के द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि अने तथा  
मेरे आर्यों ने अपने खेत की मिट्टी 5-6 वर्ष पूर्व में शिव ईट  
उद्योग अब्दुल खैरपुर (शादीपुर) कौ दी थी तथा शिव ईट उद्योग  
के मालिक अरविन्द कुमार सुप्र सुखलाल सिंह कि ग्राम शादीपुर  
के द्वारा भी अपने बयानों में गाथ सं. 12 से मिट्टी उठाने की बात  
स्वीकार की है तथा उठायी गयी मिट्टी की रायलथी जमा करने से  
सम्बन्धित कागज़ात उपलब्ध कराये गये हैं, जो संलग्न हैं।

M.T  
23/12/24

अ. वाहद

...

उक्त गाय सं. 12 से  $56 \times 18 \times 1.37 = 1380.96$  घन मी  
 तथा  $34.4 \times 100 \times 1.1 = 3784$  घनमी अर्थात् कुल  $5164.96$  घनमी  
 खनन में शिव ईट उद्योग द्वारा किया गया है, इसके अतिरिक्त  
 अबुल खैर के गाय सं. 15 रकबा 1.880 हे. शक्ति राजस्व -  
 अग्नि लेखों में हिमचल देवी पत्नी अरविन्द कुमार मिश्रा  
 के नाम संबंधीय शशिधर के रूप में दर्ज है, जिसमें हिमचल  
 के द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि मेरे द्वारा खेत के  
 ऊंचा-नीचा होने के कारण कुछ मिट्टी अपने घर का सला  
 तथा घर बनाने हेतु ह्वेप उठापी गयी है तथा गाय सं. 15 से  
 अपेक्ष खनन  $513.75 \times 1.37 = 513.75$  घनमी किया गया है तथा  
 मिट्टी उठाने हेतु हिमचल देवी के द्वारा कोई परमिशन प्राप्त  
 नहीं की गयी। आस्था सेवा में सादर उचित है।

*Vijay Pratap Singh*  
 विजय प्रताप सिंह  
 तहसील नगीना (विजयनौर)

प्रहस्य, लेखपाल जयं काका उचित।  
*Vijay*  
 07/10/24  
 R.I.R.

अधिस्य,  
 उक्त अर्थात् सं. नि. लो सं. 10 सं. 10  
 जेपित 100  
 N.T (N)  
 24/10/24  
*Jay*  
 शिवम कुमार  
 खान निरीक्षक  
 विजयनौर

609/R

प्रहस्य,  
 N.T (N) की जंच आस्था सं. 10  
 में सादर उचित।  
*Prabhu*  
 72  
 तहसील नगीना  
 जगीना

58/ST

अपर जिम्माकारी (कित एप. रा. म.)  
 महोदयों से वा में सादर उचित  
*Vijay*

बयान श्री अरविंद कुमार पुत्र सुजलालसिंह विधाम-शक्ति  
परमाना व तहसील मगीना, जिला-बिजनौर के सामान्य निवासी  
हैं।

मे वल्लभ बयान करता हूँ कि उपरोक्त मेरा नाम व पता सही  
है।


मे वल्लभ बयान करता हूँ कि नाम-अबुल खैरुद्दौल, परमाना व  
तहसील मगीना के गाथ नं-23 कि रकबई 1.088 हे शर्त में  
मेरा ईट प्रप्य (मिर्काउधेक) लगा हो तथा ईट पथाई हेतु -  
मिर्का की आवश्यकता के लिए गाथ नं-12 रकबई 0.445 हे शर्त  
इनाम अली अर्द्ध के जेठ से मेरे द्वारा ईट बनायी गयी हो।  
नियमानुसार जनन विभाग को रायलरी शुल्क जमा कर्के 2018-  
2019 से 2020-2021 तक ईट बनायी गयी है। ईट पथाई हेतु  
मिर्का का जनन 4.5 फीट (साढ़े चार फीट) डिप्लमथा है। ईट  
पथाई के समय की रायलरी शुल्क जमा कर्के की प्रति मेरे  
पास मौजूद है। बयान पढकर व पुनकर तहसील जिला/


*Vijay*  
20/10/2024  
विजय कुमार शर्मा  
बिजनौर

*AV*  
श्री. अ. क. 20  
*AV*

बयान


बयान थी इनामअली पुत्र अक वाहिद उम्र लगभग 26 वर्ष, नरि-  
 मोंसिन अंसार केसा. वृषि नि कुम. शाहीपुर, परगना व तहसील नगीना,  
 जिला-बिकानेर का सामान्य निवासी है।  
 मैं कहूँ कि बयान करता हूँ कि उपरोक्त भैया नाम व पद सब ही है  
 मैं बयान करता हूँ कि मेरी वृषि आरफती ग्राम-अबुलखैर (हा. परगना  
 व तहसील नगीना) के गांधी-12 रकबर् 2445 के वृषि मैं मेरा प्यारा  
 बृषक हूँ। तथा अत्य सहजारेदारों के नाम अहसान व उल्मान अली पुत्र अ  
 अक वाहिद व मै. जाकिर, मै. फामान, नाकिर हुसैन, शौएब अली अदारी व अहरोज अली  
 पुत्र अक इस्लाम अली व अहमीपली इस्लाम अली निवासी गुरु ग्राम-अहरीहा परगना  
 नगीना के नाम खंडगर्भ शरिया के अमें ज है तथा मैंने अपने पेट की सिद्धी  
 शिव ईद उद्योग अखिल के रखा कोरी है। तथा मैंने अत्य नारियो (सहजारेदारों)  
 के द्वारा भी सिद्धी मैं शिव ईद उद्योग को ही दी गयी है।

बयान पढ़ कर व पुनः तस्दीक किया /   
 10/10/2024

10031-  
 श्री. अकबर  
  
 शहजाद अलम  
 पाली रिपट

वमान

वमान श्रीमति हिमन्त देवी पत्नी अरविन्द कुमार उग्र लगगा, 52 वर्ष  
 जाति- सामान्य (व्योधा) पेंडा-गहनी नि.ग्राम-आडी उदरगल कटहरील  
 नरिया, जिला-बिजनौर श्री सामान्य निवासी है।  
 मैं कहता हूँ वमान करती हूँ कि उपरोक्त मैरा नाम वपयवगी है।  
 मैं वमान भरती हूँ कि मैरी शर्ष माराजी-ग्राम-अखुल खेड़ा, परगना व  
 कटहरील नरिया के गाव. सं. 15 रकब. 1.880 है. शर्ष की वरुफ है। जो कि  
 मैरा निजी केर है तथा मैरा केर हुंका व प्रीन्या है, समतल नहीं है। व  
 मैने अपने घर करास्ता बनवाने हेतु अपने केर मय. सं. 15 से थोड़ी  
 छिन्नी केर समतल करने के लिए उठायी है। उक्त कुदभिन्नी अपने घर  
 में जली यमी है।

वमान प. 6 का व. पुन. का तहरीक किया   
 विजय प्रसाद सिंह केंद्र  
 तहरीक नरिया (बिजनौर)

हिमन्त देवी  
 वसीम



21/01/19 आत्म  
 आशी डुगा।

उपदिपति पत्र

आज दिनांक 20/09-2024 को पत्रांक 162/जनित अनुभाग 2024 दिनांक 6 सितम्बर 2024 को कमलिय जिलाधिकारी बिजनौर के द्वारा माननीय राष्ट्रीय छोट आधिकार्य नई दिल्ली द्वारा ओ.ए.ए. सं. 359/2022 राष्ट्रनरी सिटीकी बनाम स्टेट ऑफ़ यू.के. में पारित कानून दिनांक 30-7-2024 के अनुपालन में जॉय ऑब्जेक्ट अपलब्ध कराये जाने विषयक है, जो ग्राम-अखुल खैरा के गाथ 12 व गाथ 15 में सिटी के जनन से सम्बन्धित है, कि संयुक्त रूप से राजस्व व खनन विभाग की टीम के द्वारा स्थल जाँच हेतु मौके पर उपदिपति लेकर जॉय की मर्मा, मौके पर उपदिपति व्यक्तियों के हस्ताक्षर व विद्वाना अंगूठा निम्नवत है! -

*[Signature]*  
28/09/2024  
विजय प्रताप सिंह (लेखाक)

*[Signature]*  
28/9/24  
(M I BIDNOR)

*[Signature]*  
अ.प्र. अ.प्र.  
*[Signature]*  
अ.प्र. अ.प्र.



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

### CONSENT ORDER

Ref No. - 130233/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/air/BIJNOR/2021

Dated : 06/07/2021

To ,

Shri AJAY VEER SINGH  
M/s SHIV ENT UDHYOG  
VILLAGE SHADIPUR HARGARNPUR TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR  
BIJNOR

**Sub :** Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. SHIV ENT UDHYOG

Reference Application No. 12629072

Dated : 06/07/2021

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s SHIV ENT UDHYOG. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 29/06/2021 to 31/07/2025 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

JAGDAMBA PRASAD MAURYA  
Regionally signed by  
JAGDAMBA PRASAD MAURYA  
Date: 2021.07.06  
15:53:20 +05'30'

Regional Officer

Enclosed : As above  
(condition of consent):

Copy to: Chief Environment Officer, Circle-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

JAGDAMBA PRASAD MAURYA  
Regionally signed by  
JAGDAMBA PRASAD MAURYA  
Date: 2021.07.06  
15:54:20 +05'30'

Regional Officer

## U.P. Pollution Control Board

Dated : 06/07/2021

## CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of 20,000 No. Bricks/day.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

## 3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	7.5 KVA D.G.SET	DIESEL OIL	01	Particulate Matter	1.5 mtr.
2	BRICK KILN	COAL/WOOD	01	Particulate Matter	30 mtr.

- 3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	01	Particulate Matter	750 mg/Nm <sup>3</sup>

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted .

**The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.**

**Specific Conditions:**

1. This consent is valid only for products and quantity mentioned above.
2. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process /fuel/plant machinery. Failing which consent would be deemed void.
3. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
4. Brick kiln is directed to fully comply the conditions mention in environmental clearance issued by SEIAA/DEIAA.
5. Brick kiln shall not use hazardous waste as fuel like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc.
6. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
7. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
8. The brick kiln should comply the notification issued under the Environment (Protection) Act, 1986.
9. Brick Kiln shall maintain maximum plantation in series and boundary wall around the brick kiln premises.
10. Generated ash of brick kiln should be properly disposed in such way that nearby environment will not be affected.
11. Brick kiln shall use biomass briquettes as co-fuel with main fuel in the ratio of minimum 20 %.
12. Exhaust pipe of 7.5 KVA DG Set should be 1.5 meter high from nearby roof top.
13. Audited industrial balance sheet or C.A. certificate of total investment (Net fixed assets+ current asset- current liabilities) shall be submitted within a month.
14. The brick kiln shall installed water sprinkler for suppression of dust during loading and unloading of the bricks.
15. In compliance of direction issued by Central Pollution Control Board vide letter no-4877-4911, dated-27-06-2017 to all State following conditions are also applicable on the Brick kiln :-
  - (a) Provide status on conversion of natural draft to induced draft Brick kilns (with rectangular kiln shape and zig-zag brick setting).
  - (b) All the moving area around the main Brick kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations.
  - (c) Ensure that fine dust not to accumulate all around the Brick Kiln.
16. This consent is issued purely from environmental angle and the Board will not be responsible for any claim, counter claim, ownership, partnership, land dispute etc. of the unit.
17. A wall of 3 meters height shall be constructed on the sides where land is not available for green belt development to prevent fugitive emissions.
18. Brick Kiln shall ensure minimum 33% area green belt within the premises.
19. Multi-layer green belt to be developed along the periphery of brick kiln.
20. Compliance report of this consent order must be sent to this office within two months.
21. The Board have right to modify any conditions as and when require in compliance of any change in Environmental Guidelines and Hon'ble Court orders passed time to time.
22. The unit shall installed stack air monitoring facility at Brick Kiln stack (Port hole, Platform and stair) and submit the stack air monitoring report within a month otherwise this consent to operate will automatically to be cancelled.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

JAGDAMBA  
PRASAD  
MAURYA  
Regional Officer

Digitally signed by  
JAGDAMBA PRASAD  
MAURYA  
Date: 2021.07.06  
13:54:30 +05'30'

092833

कोषागार प्रपत्र-208(1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-8, भाग-2  
 प्रपत्र-संख्या-43ए(1)  
 (प्रतर 417 एवं 478 देखिए)  
 धनराशि जमा करने का चातान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, विजनीर/नजीबाबाद/बामपुर/चांदपुर/नगीना।						
1.	जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम		श्री सुखलाल आर्य पुत्र श्री सोहन सिंह त्रिवारि राम शादीपुर तहसील नगीना जिला विजनीर।			
2.	पता		: उक्त।			
3.	पंजीकरण संख्या/फसल का नाम व बाद संख्या (यदि आवश्यक हो)		नै0 शिव ईंट उद्योग शादीपुर तहसील नगीना। वर्ष - 2019-20			
4.	जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के फसल में जमा की जा रही है।)		: 20 पाये का विनियमन शुल्क = 1,48,500/- प्रार्वना पत्र शुल्क = 2000/- 10% पलोयन शुल्क = 14,850/- = 1,65,350/-			
5.	चातान की संकल राशि		: 1,65,350/-			
6.	चातान की निबल राशि		: 1,65,350/-			
7.	लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण लेखाशीर्षक की मुहर		0853-अतीठ खनन तथा वायुमन उद्योग 102-अनिव रियासत शुल्क किराया और खत शुल्क 01-अनिव रियासत शुल्क किराया और खत शुल्क			
8.	लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड		: 0853-00-102-01-00			
	मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
	0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 1	0 0	: 1,65,350/-
धनराशि (शब्दों में) एक लाख पैंसठ हजार तीन सौ पचास रू० मात्र						
						योग : 1,65,350/-
चातान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित					जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर	
					अशोक कुमार	
केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ						
चातान संख्या			अंको में रू०			
दिनांक			शब्दों में रू०			
प्राप्त किया।						
नोट/सिद्धि			प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	उपकोषागार/बैंक की मुहर		
2000x						
500x						
100x						
50x						
20x						
10x						
5x						
2x						
1x						
कुल						



K500008  
 05/11/19  
 भारतीय स्टेट बैंक, नगीना  
 (10581) बकद प्राप्त/भुगतान/अन्य  
 05 NOV 2019  
 1478879 (Rajesh Kumar)  
 165350



वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-8, भाग-2  
 प्रपत्र-संख्या-43ए(1)  
 (प्रस्ताव 417 एवं 478 देखिए)  
 धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, विजयनगर/मजीबाबाद/धामपुर/बांदपुर/मगीना।

1.	जिस व्यक्त (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	श्री सुखलाल आर्य पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी ग्राम हादीपुर तहसील बगौना जिला विजयनगर।																														
	पता	: उक्त।																														
3.	पंजीकरण संख्या/पत्र का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	नं० शिव ईट उद्योग हादीपुर तहसील बगौना। वर्ष - 2019-20																														
4.	जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पत्र में जमा की जा रही है।)	20 पाये की विनियमन शुल्क की धनराशि रु० 1,48,500/- पर 2% स्टाम्प शुल्क की धनराशि = 2970/-																														
5.	चालान की सकल राशि	2970/-																														
6.	चालान की निबल राशि	2970/-																														
7.	लेखापीरक का पूर्ण विवरण/लेखापीरक की मुहर	0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण रु 02-स्टाम्प न्यायिकेतर 800-अन्य प्राप्तिवां																														
8.	लेखापीरक का 13 डिजिट कोड	: 0030-02-800-00-00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>मुख्य लेखापीरक</th> <th>उप मुख्य शीर्षक</th> <th>तम शीर्षक</th> <th>उप शीर्षक</th> <th>व्योरेवार शीर्षक</th> <th>धनराशि अंकों में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 0 3 0</td> <td>0 2</td> <td>8 0 0</td> <td>0 0</td> <td>0 0</td> <td>: 2970/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">धनराशि (शब्दों में) दो हजार नौ सौ सत्तर रूप मात्र</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>योग 2970/-</td> </tr> </tbody> </table>		मुख्य लेखापीरक	उप मुख्य शीर्षक	तम शीर्षक	उप शीर्षक	व्योरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में	0 0 3 0	0 2	8 0 0	0 0	0 0	: 2970/-							धनराशि (शब्दों में) दो हजार नौ सौ सत्तर रूप मात्र											योग 2970/-	
मुख्य लेखापीरक	उप मुख्य शीर्षक	तम शीर्षक	उप शीर्षक	व्योरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में																											
0 0 3 0	0 2	8 0 0	0 0	0 0	: 2970/-																											
धनराशि (शब्दों में) दो हजार नौ सौ सत्तर रूप मात्र																																
					योग 2970/-																											
चालान में लेखापीरक की मुहर करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित		जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर अरविंद कुमार																														
केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ																																
चालान संख्या	अंकों में रु०																															
दिनांक	शब्दों में रु०																															
शेकड दिवस	प्राप्त किया।																															
नोट/सिकके	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	उपकोषागार/बैंक की मुहर																														
2000x																																
500x																																
100x																																
50x																																
20x																																
10x																																
5x																																
2x																																
1x																																
कुल																																



भारतीय स्टेट बैंक, मगीना  
 05 MAY 2019  
 747879  
 Signature



Tax Deducted at Source (TDS) Form (To be filled up by employer)

AN **L K X 0 1 6 2 4 3 6**

Received from \_\_\_\_\_  
(Name)

City/Debit to A/c/Cheque No. \_\_\_\_\_ For Rs. **2970**

Rs. (in words) \_\_\_\_\_

drawn on \_\_\_\_\_  
(Name of the Bank and Branch)

Company/Non-Company Deductee

on account of Tax Deducted at Source (TDS)/Tax Collected at Source (TCS) from \_\_\_\_\_ (Fill up Code)

(Strike out whichever is not applicable)

for the Assessment Year: **2019-20**

SPACE FOR BANK SEAL.

**2**

श्री भगवत एम.एच.के. गरीना  
0581) बका: माल/प्रमाण/अन्तरण

**05 NOV 2019**

Signature **Rajeev Kumar**

Printed on www.incometaxindia.gov.in

J-045052.637



विशेष निष्काश प्रपत्र-8. भाग-2

प्रपत्र-संख्या-49ए(1)

(प्रकार 417 एवं 478 संश्लिष्ट)

धनराशि प्रेषण करने का बालान पत्र

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : भारतीय स्टेट बैंक मुंबई, विजयपुर/नजीबाबाद/धानपुर/बांबपुर/मनीना।

1.	जिस व्यक्ति (यदि नाम यदि आवश्यक हो) या संस्था को धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	श्री सुकलाल जयपुर की जोहन सिंह निकसी ज्ञान हादीपुर तहसील बगीचा किला विजयपुर।												
2.	पता	: उक्त।												
3.	पंजीकरण संख्या/पत्र का नाम व यदि संख्या (यदि आवश्यक हो)	श्री 0 सिव ईट उद्योग हादीपुर तहसील बगीचा। वर्ष - 2018-19												
4.	जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पत्र में जमा की जा रही है।)	: 20 पाये की शकटी की धनराशि = 1,48,500/- प्रार्थना पत्र शुल्क = 2000/- 10% फलोचन शुल्क = 14,850/- = 1,65,350/-												
5.	बालान की सकल राशि	: 1,65,350/-												
6.	बालान की निबल राशि	: 1,65,350/-												
7.	लेखापीरक का पूर्ण विवरण/लेखापीरक की मुहर	0853-0000-102-01-00 102-अभिलेख शुल्क विभाग और उक्त शुल्क 01-अभिलेख शुल्क विभाग और उक्त शुल्क												
8.	लेखापीरक का 13 डिजिट कोड	: 0853-00-102-01-00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>मुख्य लेखापीरक</th> <th>उप मुख्य पीरक</th> <th>तृतीय पीरक</th> <th>उप पीरक</th> <th>ब्यौरेवार पीरक</th> <th>धनराशि अंकों में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 8 5 3</td> <td>0 0</td> <td>4 0 2</td> <td>0 1</td> <td>0 0</td> <td>1,65,350/-</td> </tr> </tbody> </table>		मुख्य लेखापीरक	उप मुख्य पीरक	तृतीय पीरक	उप पीरक	ब्यौरेवार पीरक	धनराशि अंकों में	0 8 5 3	0 0	4 0 2	0 1	0 0	1,65,350/-	
मुख्य लेखापीरक	उप मुख्य पीरक	तृतीय पीरक	उप पीरक	ब्यौरेवार पीरक	धनराशि अंकों में									
0 8 5 3	0 0	4 0 2	0 1	0 0	1,65,350/-									
धनराशि (सब्सॉ में) एक लाख सैठ हजार तीन सौ पचास रु. मात्र					योग	1,65,350/-								
बालान में लेखापीरक की प्रुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर					जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर									
उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ					प्रयोगार्थ									
बालान संख्या					अंकों में रु.									
दिनांक					रु. में रु.									
रोकड़ विवरण सहित					प्राप्त किया।									
नोट/सिक्के					उपकोषागार/बैंक की मुहर									

2000x		
500x		
100x		
50x		
20x		
10x		
5x		
2x		
1x		
कुल		

CAN 1201/01/AN 75052  
RS 165,350/2  
R.S. Lakshmi Narayan  
3/1/19



संपत्र-संख्या-434(1)  
(प्रस्ताव 417 एवं 478 संशोधित)  
घनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, बिजनौर/नजीबाबाद/धामपुर/चांदपुर/नगीना।	
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से घनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	श्री सुजलाल आर्ब पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी बाम शादीपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर।
पता	: इलाहाबाद।
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व बैंक संख्या (यदि आवश्यक हो)	मैC शिव इंटर उद्योग शादीपुर तहसील नगीना। वर्ष - 2018-19
4. जमा 1141 की जा रही है। घनराशि का पूर्ण विवरण (घनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)	20 गाये की रायल्टी की घनराशि ₹ 1,48,500/- पर 2% स्टाम्प शुल्क की घनराशि = 2970/-
5. चालान की सकल राशि	:
6. चालान की निबल राशि	: 2970/-
7. लेखाबीरक का पूर्ण विवरण/लेखाबीरक की मुहर	: 2970/-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण                      02-स्टाम्प ब्याधिकेवर                      800-उच्च प्राप्ति                 </div>	
8. लेखाबीरक का 13 डिजिट कोड	: 0030-02-800-00-00
मुख्य लेखाबीरक	उप मुख्य बीरक
0 0 3 0	0 2
लघु बीरक	उप बीरक
8 0 0	3 0
ब्यारिवार बीरक	घनराशि अंकों में
0 0	: 2970 -
घनराशि (शब्दों में) दो हजार नौ सौ सत्तर ₹ मात्र	
चालान में लेखाबीरक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित	
योग : 2970/-	
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर	
चालान संख्या	केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ
दिनांक	अंकों में ₹
	शब्दों में ₹
रोकड़ (विवरण सहित)	प्राप्त किया।
नोट/सिकके	जमाकर्ता के हस्ताक्षर
₹ 100	उपकोषागार/बैंक की मुहर
2000x	
500x	
100x	
50x	
20x	
10x	
5x	
2x	
1x	
कुल	

कोषागार प्रपत्र-209(1)



पाना पत्ती / PAY-IN-SLIP <b>भारतीय स्टेट बँक</b> <b>STATE BANK OF INDIA</b>		नकद / प्रत्यक्ष CASH/TRANSFER
शाखा/Branch .....		दिनांक Date 21.1.2019
खाते का प्रकार : प्रकाश/चालू खाते/बाचत खाते/बचत खाते/सावधि/सावधि TYPE OF ACCOUNT : SB / CA / RD / CD / TL		
खाता संख्या / Account Number		
3733159391		
उक्त खाते में जमा करने हेतु / For the credit of the bank account of .....		
नकद / चेक / ड्राफ्ट / Deposit of Cash/Cheques (के. ए. ए. / के. ए. ए.)	₹ 14850/-	
खाते में जमा करना Cash Deposit in the account	₹ 14850/-	
प्रकृति/खाता शुल्क Cash Handling Charges	₹ 0/-	
कुल जमा TOTAL DEPOSIT	₹ 14850/-	
रुपये (शब्दों में) / Rupees (in words) चार हजार आठ सौ पचास रुपये केवल		
अधिकारी/अधीक्षक SMO	बैंक अधिकारी/अधीक्षक Cash Officer/Deputy Officer	

दिनांक 21.1.2019  
 पत्र संख्या 3733159391





3

Taxpayer's Name: [REDACTED]

TAN: [REDACTED] 16 2 43 61

For Rs. 270

Stamp No. [REDACTED]

(Name of the Bank and Branch)

Branch [REDACTED]

Account No. [REDACTED]

Rs. [REDACTED]

27 OCT 2021

Stamp: [REDACTED]



Original Application No. 359/2022 Rafhat Naeem Siddiqui Versus State of U.P. &

---

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: rkhuranalegal@gmail.com; gagicgeorge.adv42@yahoo.in

Date: Wednesday, November 6, 2024 at 03:02 PM GMT+5:30

---

Sir,

Please find attached the Document

With Regards,

**(PRADEEP MISRA)**



Rafat nayeem Reply.pdf  
10.9MB